संख्या- 12 /2023/I/446979/2023

प्रेषक,

कुणाल सिल्कू
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 21 दिसम्बर, 2023**

विषय: बोर्ड द्वारा संचालित ''मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना'' के प्रस्तर-03 (पात्रता) में संशोधन पर अनापत्ति दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3302 भ0नि0बो0(1605)/2023, दिनांक 29-08-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बोर्ड की 60 वीं बैठक दिनांक 27-07-2023 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-18 में हुए निर्णय के क्रम में बोर्ड द्वारा संचालित मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के प्रस्तर-03 पात्रता (पैरा-1) की वर्तमान व्यवस्था में निम्नवत में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए इस पर अनापत्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया है :-

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर-3 पात्रता (पैरा-1)	इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि शिशु एवं मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ संबंधित निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों की सीमा तक ही देय होगा।	इस योजना के लिए वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो तथा **पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम एक वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो** , किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि शिशु एवं मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ संबंधित निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों की सीमा तक ही देय होगा।

2- प्रश्नगत योजना में प्रस्तावित उक्तानुसार संशोधन पर अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, प्रश्नगत योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 के प्राविधानों का पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

Digitally Signed by कुणाल सिल्कू
Date: 13-12-2023 13:31:40
Reason: Approved

(कुणाल सिल्कू)
विशेष सचिव

संख्या- 12 /2023/I/ 446979 (1)/2023, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव